राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक : एफ 8(31)त.शि / 2016 जयपुर,दिनांक 9–08–2017

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अभिशंषानुसार राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थियों को जिनकी जन्मतिथि उनके नाम के सामने अंकित हैं, कार्यभार संभालने की तिथि से प्रवक्ता, इलेक्ट्रोनिक्स के पद पर राजस्थान तकनीकी शिक्षा सेवा नियम 2010 (अभियांत्रिकी) के अंतर्गत बी.ई / बी.टेक (स्नातक) अभ्यर्थियो को वेतन श्रंखला 15600–39100 मे न्यूनतम ग्रेड पे 5400 / –रू. मे नियत वेतन 22180 / – एंव एम.ई / एम.टेक योग्यताधारियों के लिए न्यूनतम ग्रेड पे 6000 / –रू. मे नियत वेतन 24030 / – में अस्थायी रूप से 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है–

क.स.	अभ्यर्थी का नाम व पता	कैटेगरी एंव मेरिट स0	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	सुश्री प्रियंका जॉगिड पुत्री श्री भंवर लाल जॉगिड, ग्राम–मैलासी, पोस्ट झींगर छोटी, तहसील सीकर, पिन–332024	GEWE R–1	12.10.1993	राजकीय महिला पोलि0 महाविधालय बीकानेर
2	विनय गुप्ता पुत्र श्री ईश्वर चन्द गुप्ता, मकान न0 3–एच–52, महावीर नगर एक्सटेंशन, कोटा–324009	GE R-2	26.07.1987	राजकीय पोलि0 महाविधालय बूंदी
3	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जगदीश कुमार, 46, अर्जुन नगर–दक्षिण, गोपालपुरा बाईपास रोड, टोंक फाटक, जयपुर	BC R-8	09.08.1986	राजकीय पोलि0 महाविधालय दौसा
4	श्री जितेन्द्र कुमार जाट पुत्र श्री संपत लाल जाट, प्लाट न0–43, सोमनगर–प्रथम, मधुवन सेथी, चित्तौड़गढ (राज0) पिन–312001	BC R-14	01.10.1992	राजकीय पोलि0 महाविधालय चित्तौड़गढ़
5	श्री अर्पित कुमार गौड पुत्र श्री महावीर प्रसाद गौड, म0स0 41, कनक रेजीडेंसी झालावाड, पिन–326001	BC R-15	10.10.1990	राजकीय पोलि0 महाविधालय झालावाड़
6	श्री स्नेह कुमार पुत्र श्री जगमोहन, मकान स0 1557 सी, रेल्वे कोलोनी न0 2, अजमेर–305001	SC R-20	29.05.1989	राजकीय पोलि0 महाविधालय भीलवाड़ा

1. उक्त अभ्यार्थी को 2 वर्ष तक परिवीक्षाकाल के लिये मासिक स्थिर परिलाभ रूपये बी.टेक अभ्यर्थियों को 22180 / – एवं एम.टेक अभ्यार्थियो को 24030 / – पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।
2. परिवीक्षाकाल मे इन्हे कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होंगे, अर्थात परिवीक्षाकाल को वेतन वृद्धि के लिये नही गिना जायेगा।
3. परिवीक्षाकाल मे स्थिर परिलाभो मे से कोई कटौतियां (यथा जी.पी.एफ एवं स्टेट इंश्योरेंस) नही की जायेगी और इन्हे प्रतिनियुक्ति भत्ता एवं कार्यग्रहण करने पर यात्रा भत्ता आदि नही दिया जायेगा।
4. 2 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर इन्हें प्रवक्ता पद की वेतन श्रंखला 15600–39100 (बी.टेक अभ्यार्थियों को ग्रेड पे 5400 / – एवं एम.टेक अभ्यार्थी को ग्रेड पे 6000 / –) देय होगी तथा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर इन्हे वेतन श्रंखला मे न्यूनतम वेतन दिया जायेगा।

5. वित्त (नियम) विभाग के आदेश कमांक एफ 13(1) एफ डी/रूल्स/2003 दिनांक 29.1.2004 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
6. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति वित्त नियम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 1(2)एफ डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.3.06, एफ 12(6) एफ डी/रूल्स/05 दिनांक 13.3.06, एफ 13(1)एफ डी/रूल्स/06 दिनांक 13.3.06, के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन होगी।
7. यह नियुक्ति अधीक्षक, चिकित्सालय अनुलग्नक मेडिकल कॉलेज/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 15(1)डीओपी/ए-11/74 दिनांक 01.01.75 द्वारा प्रसारित निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगी एवं तत्पश्चात ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
8. **पदस्थापन आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि मे पदस्थापन आदेश पर अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि मे कार्यग्रहण नही करने पर इनकी नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जायेगे।**
9. **"These appointments are subject to the decisions of SB Civil Writ Petition Nos. 9296/2016 & 9297/2016"**

आज्ञा से

(पुष्पा सत्यानी)
संयुक्त शासन सचिव त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, तकनकी शिक्षा।
3. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्रों एफ 7(50) भर्ती/गोपनीय/2013-14/37 दिनांक 20.04.2017 एंव एफ 7(50) भर्ती/ गोपनीय/2013-14/69 दि0 08.05.2017 के कम में।
4. निदेशक प्राविधिक शिक्षा, राजस्थान जोधपुर।
5. संबंधित प्रधानाचार्य, भेजकर लेख है कि कृपया उपरोक्त अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करमे पर ही कार्यभार ग्रहण करवाया जावे।
6. सम्बन्धित अभ्यर्थी श्री..
7. निजी/रक्षित पत्रावली।

9/8/17
(अजय जैन)
सहायक शासन सचिव त.शि.